न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.
निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–11/2021

1. हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी 87 फेज द्वितीय रूपरजत टाउन शिप पाल रोड़ जोधपुर जरिये मुख्त्यार खास प्रधुमनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी बिरकाली हाउस कचहरी परिसर के पास बीकानेर (राज.)। प्रधुमन सिंहं (फौत) रितु राठोड़ पत्नी प्रधुमनसिंह

–प्रार्थी

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र श्री नानुसिंह जाति राजपुत निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. ग्राम पंचायत बिरकाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर ।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– श्री हवासिंह पूनिया, रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता, अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः–**07.02.2023**

प्रार्थी हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी 87 फेज द्वितीय रूपरजत टाउन शिप पाल रोड़ जोधपुर जरिये मुख्त्यार खास प्रधुमनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपुत निवासी बिरकाली हाउस कचहरी परिसर के पास बीकानेर (राज.)। प्रधुमन सिंहं (फौत) रितु राठोड़ पत्नी प्रधुमनसिंह ने विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.01.2018 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर जिसमें अपील संख्या 45/2017 अनवानी भगवानसिंह बनाम हर्षवर्धनसिंह आदि स्वीकार की गई, को निरस्त कर अपील खारिज करवाने बाबत निगरानी पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. यह कि निगरानी कृत निर्णय दिनांक 10.01.2018 विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है। नकल निर्णय दिनांक 10.01.2018 संलग्न निगरानी है।

07/2/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. यह कि अप्रार्थी नं0 1 ने अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में एक अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिरकाली में अपीलान्ट के पिता नानुसिंह ने एक भूखण्ड अर्जित कर ग्राम पंचायत बिरकाली से दिनांक 30.11.1960 का पट्टा हासिल कर लिया था, जिस पट्टा शुदा भूखण्ड पर मकान निर्माण कर नानुसिंह अपने परिवार के साथ बिना किसी बाधा के अपने जीवन का में निवास करते रहे व नानुसिंह का वर्ष 1988 में स्वर्गवास हो जाने पर अपीलान्ट उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अपीलान्ट के पिता जब पंचायत समिति के प्रधान बने तो उनके यहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी व अन्य आने लगे तो अपीलान्ट के पिता ने अपने उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड के उतरी पूर्वी कोने में अतिथिग्रह बनवा लिया, जो उनसे मिलने आने जाने वाले लोगो के बैठने व रात्रि विश्राम हेतु काम आने लगा। दो वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट के पिता उम्मेदसिंह उक्त अतिथिग्रह पर कब्जा करने लगा तो अपीलान्ट एवं गांव के व्यक्तियो ने उन्हे कब्जा नहीं करने दिया उसके बाद पता चला कि हर्षवर्धनसिंह ने विवादित जगह का पट्टा बनवा लिया है। ग्राम पंचायत बिरकाली से दिनांक 07.07.2015 को नकल मिलने पर अपीलाधीन पट्टा की जानकारी हुई, जिस बाबत फौजदारी इस्तगासा पेश कर दिया एवं जानकारी हुई की हर्षवर्धनसिंह ने नानुसिंह की पट्टे शुदा जगह मे से 123 प्लस 123 प्लस 80 प्लस 85 कुल 1014705 फुट जगह का दिनांक 31.12.2008 बनवा रखा है, पूर्व में अपील पेश नहीं कर सका, अब दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ हर्षवर्धनसिंह के पक्ष जारी पट्टा दिनांक 31.12.2008 को खारिज करवाने हेतु निवेदन किया, उसके बाद बिना सुनवाई का अवसर दिये रेस्पोडेन्ट नं0 1 के खिलाफ विधि विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

3. यह कि निगरानी के वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बिरकाली में प्रार्थी के पूर्वजो का कब्जा शुदा भूखण्ड था, जिसमें परिवार सहित आबाद थे एवं पुराने कब्जाशुदा भूखण्ड का ग्राम पंचायत बिरकाली ने विधि सम्मत कार्यवाही कर प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 31.12.2008 को पट्टा जारी किया है, उसके बावजूद भी मातहत अदालत द्वारा अपील स्वीकार कर बिना सुनवाई का अवसर दिये पट्टा निरस्त कर दिया, इसलिए मातहत अदालत द्वारा विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

4. यह कि अपीलकृत पट्टा ग्राम पंचायत बिरकाली ने दिनांक 31.12.2008 को आवश्यक सभी कार्यवाही अपनाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी किया है, उसके बावजूद भी विधि विरूद्व निर्णय पारित कर पट्टा खारीज किया है, इसलिए मातहत अदालत द्वारा विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

5. यह कि अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का गहन अवलोकन नहीं किया है, यदि पत्रावली का

07/2/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अवलोकन कर निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए निर्णय विधि संम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

6. यह है कि अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय स्वैच्छाचारी, मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि पंचायत के किसी निर्णय के खिलाफ अपील की मियाद 30 दिन है जबकि यह अपील 9 साल बाद पेश की गयी थी, जो मियाद बाहर पेश की गयी है क्योंकि अपीलान्ट भूखण्डो को रोज देखते थे, जिसका अपीलान्ट को बखुबी ज्ञान था तथा पंचायत समिति द्वारा अपने पारित इस निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई आदेश नहीं दिया है, इसीलिए अपील मियाद बाहर है, जो काबिल खारिजी के है तथा यह अपील ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत नही की गयी है क्योंकि निर्णय तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है, जिसके आधार पर पट्टा जारी किया जाता है जो कि कागजी पट्टा है, इसलिए पट्टा के खिलाफ कोई अपील पेश नही की जा सकती है, इसलिए यह पंचायत समिति का फैसला काबिल खारिजी के है।

8. यह कि कानूनी स्थिति के मुताबिक प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन मातहत अदालत ने ऐसा नहीं कर कानून के मान्य सिद्वान्तो की अवहेलना की है, इसलिए यह निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

9. यह कि प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति का निर्णय कानून सम्मत नहीं है, सिर्फ राजनैतिक पार्टी बाजी कि वजह से आपसी रजिंश होने के कारण सिर्फ विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

10. यह कि प्रार्थी बाहर रहता है, उसके बावजूद भी बिना सुनवाई का अवसर दिये इतने पुराने रिकार्ड को नजर अन्दाज कर सिर्फ राजनैतिक दवाब में आकर एक पक्षीय मौका देखकर प्रार्थी को सुनवाई को मौका दिये बिना पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने के कारण से निरस्त योग्य है।

11. यह कि विवादित भूखण्ड प्रार्थी के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है उक्त पट्टे की 9 वर्षो बाद आपसी नाराजगी की वजह से अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में अपील पेश हुई जिसमें प्रार्थी को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया एक पक्षीय निर्णय दिनांक 10.01.2018 को किया गया। अब अप्रार्थी ने ऐलानिया कहा कि मैनें आपके नाम से जारी पट्टा को खारिज करवा दिया है, तब मातहत अदालत में आकर पत्रावली की जानकारी चाही तो बताया गया कि आपके नाम का पट्टा दिनांक 10.01.2018 को खारिज कर दिया गया है, उसके बाद फैसला की जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर आज बिना किसी देरी के निगरानी पेश की जा रही है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

07/2/23
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

12. यह कि निगरानी अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर व ज्ञान से अन्दर मियाद है।

13. यह कि अन्य कानून एवं तथ्य सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा।

लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 10.01.2018 निरस्त कर अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से निगरानी में जैरकार भूखण्ड का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 ने न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में अपील प्रस्तुत की, जिसका निर्णय दिनांक 10.01.2018 को हुआ। प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत बिरकाली से जारी पट्टा को चुनौती दी गई एंव अप्रार्थी संख्या–01 ने निवेदन किया कि पट्टा अपीलांट के पिता नानूसिंह के नाम से दिनांक 30.11.1960 को जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या–01 के निवेदन पर न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने प्रार्थी का पट्टा दिनांक 10.01.2018 को खारिज कर दिया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.12.2008 को प्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.12.2008 को प्रार्थी के नाम से जारी पट्टा को निरस्त करवानें हेतु अप्रार्थी संख्या–01 ने अपील प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा पुरानें कब्जे के आधार पर जारी किया था। अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में अपील पट्टा जारी होनें के 9 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई, जो म्याद बाहर थी। न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने उक्त अपील की सुनवाई करते समय प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही दिनांक 10.01.2018 को निर्णय पारित कर दिया जब प्रार्थी को इस निर्णय की जानकारी हुई तो न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। अप्रार्थी ने सिविल कोर्ट में विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जैरकार है, की नकले पेश की है। अतः न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 10.01.2018 को निरस्त कर प्रार्थी का पट्टा बहाल रखा जानें का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 10.01.2018 को पारित निर्णय विधि सम्मत है क्योंकि उक्त पट्टा मेरे पिता के नाम से बना हुआ है। काफी वर्षो से उनके द्वारा ही उक्त भूखण्ड उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी हर्षवर्धन ने वर्ष 2008 में मेरे पिता के नाम जारी पट्टे पर नवीन पट्टा जारी करवा लिया था। प्रार्थी हर्षवर्धन ने पूर्व पट्टे को खारिज करवानें का दावा भी सिविल कोर्ट

07/2/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

में पेश किया था। जिसमें मेरे द्वारा कांउटर क्लेम किया गया एंव सिविल कोर्ट में मेरे पट्टे को सही माना गया। पट्टे का निरस्त करनें के लिए हर्षवर्धन ने पूर्व में निगरानी पेश की गई थी। नोटिस भी जारी नहीं हुये फिर भी पट्टा जारी करवा लिया था, जो इनकी जानकारी में था। सिविल कोर्ट ने निर्णय कर दिया एंव दिनांक 30.11.1960 का पट्टा सही माना है। हर्षवर्धन का 50 वर्ष का कब्जा बताया है जबकि स्वंय 40 वर्ष का है। सभी दस्तावेज सिविल कोर्ट में पेश किये जा चुके है। पंचायत समिति नोहर द्वारा नोटिस जारी किये गये, जो इनकी जानकारी में था। न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 10.01.2018 को पारित निर्णय विधि सम्मत है और मेरा पट्टा दिनांक 30.11.1960 का सही है एंव मैरिट पर तय है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता निगरानी कर्ता ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 30.11.1960 को जारी पट्टा कागजी है, जिसका कोई रिकार्ड नहीं है। हमारे पूर्वजों का कब्जा है सिविलि कोर्ट के निर्णय की पालना में कब्जा दिया गया, इससे साबित होता है कि कब्जा मेरे पास है। अतः प्रार्थी निगरानी स्वीकार कर न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 10.01.2018 को पारित निर्णय को अपास्त करनें का आदेश फरमावे। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश निवेदन किया गया कि निगरानी की मद संख्या–1 में सहवन से निर्णय दिनांक 05.12.2019 दर्ज हो गई है जबकि निर्णय दिनांक 10.01.2018 है, जिसे दुरस्त किया जावे। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी की मद संख्या–01 में निर्णय दिनांक 10.01.2018 अंकन करनें का संशोधन किया गया।

हमनें पत्रावली को अवलोकन किया एंव अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय से तलबशुदा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। साथ ही माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया जिसमें लगातार सुनवाई पश्चात काउंटर क्लेम को स्वीकार करते हुये निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गए परन्तु वह हाजिर नहीं आया और उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली पर निर्णय पारित किया गया है। ऐसे में यह मानने का कोई कारण नही है कि प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी नहीं थी। दौराने अपील रेस्पोडेन्ट का दावा भी सिविल न्यायालय में जैरकार था। अतः निगरानीकर्ता हर्षवर्धन सिंह की अपीलाधीन पत्रावली विषयक अज्ञानता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। निगरानीकर्ता का यह भी कथन है कि उसका पट्टा जो खारिज किया गया, पुरानें कब्जे के आधार पर जारी किया गया, जिसके लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुरानें गृहो के विनियमितिकरण के तहत 50 वर्ष का कब्जा होना अपेक्षित है जबकि संलग्न दस्तावेजो के आधार पर ज्ञात होता है कि

07/2/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पट्टा जारी करनें के समय प्रार्थी लगभग 40 वर्ष का था। न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 31.12.2008 को जारी पट्टे को दिनांक 10.01.2018 को इस आधार पर खारिज किया कि पूर्व में इसी स्थान पर श्री नानूराम को सन 1960 मे पट्टा जारी है। पूर्व पट्टे पर पट्टा जारी होनें से निगरानीकर्ता का पट्टा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत पट्टा खारिज किया गया है। जहां तक अप्रार्थी भगवानसिंह के पिता नानूसिंह के नाम जारी पट्टा दिनांक 30.11.1960 का प्रशन है, यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 से पूर्व का है जिस कारण यह नियम उक्त पट्टे पर लागु नहीं होते है। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1954 के तहत दृष्टिगत है जिसमे पट्टा जारी करनें बाबत कोई स्पष्ट धारा/ नियम/बाध्यतांए नहीं है। इस न्यायालय की नजर में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करनें में कोई गलती नहीं की है। प्रस्तुत दृष्टांत निम्न प्रकार है–

(1) 2006 (1) D.N.J.(Raj.) Page no. 43 to 45
(2) 2006(3) D.N.J. (Raj.) Page no. 1438 to 1445
(3) 2005(1) D.N.J. (Raj.) Page no. 228 to 231
(4) 2008(3)) D.N.J. (Raj.) Page no. 1478 to 1481
(5) 2004(3)) D.N.J. (Raj.) Page no. 1506 to 1510
(6) 2008(2)) D.N.J. (Raj.) Page no. 882 to 885

प्रस्तुत दृष्टांत का अध्ययन किया गया। एक पक्षीय आदेश, जो किया गया है, वह बाकायदा रजिस्टर्ड नोटिस देकर किया गया है। उक्त अवधि में भी सिविल न्यायालय में प्रार्थी का दावा विचाराधीन था। अतः यह नहीं माना जा सकता कि निगरानीकर्ता को कोई जानकारी नहीं थी, जहां तक म्याद का बिंदु है जब पक्षकारों के मध्य लंबी अवधि से दावे/प्रतिदावे/ अपीले आदि जारी है तो जानकारी न होनें का बिन्दु मानने योग्य नहीं है। म्याद के बिन्दु पर भी निगरानी काबिले खारिज है।

उक्त समस्त विवेचन दृष्टिगत यह निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कायम रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का तलबशुदा रिकार्ड इस निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक **07.02.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/2/2023
(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)